न्यायालयः— श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,
बगहा, प0 चम्पारण।
वाल्मिकी नगर थाना कांड संख्या—24 / 2009
समान्य पंजी संख्या—1268 / 09
सरकार बनाम् बिशुनदेव पटेल एवं अन्य

आदेश

06.02.2026

पुकार की गई। अभियुक्त 1. नन्दकिशोर सहनी उपस्थित। अन्य सह सहअभियुक्तगण 2. बिशुनदेव पटेल 3. बालकिशुन साह उर्फ कटिंग 4. ललन साह अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली बचाव पक्ष द्वारा धारा 239 दं0 प्र0 सं0 के अधीन अभियुक्तगण 1. नन्दकिशोर सहनी 2. बिशुनदेव पटेल 3. बालकिशुन साह उर्फ कटिंग 4. ललन साह के आरोप अन्तर्गत धारा—33, 41, 42 भारतीय वन अधिनियम एवं 2(15), 35(6), 39(1), 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं 379, 411 भा0 दं0 सं0 से उन्मोचित किए जाने के आवेदन पर आदेश हेतु नियत।

बचाव पक्ष द्वारा दिनांक 22.01.2014 को अन्तर्गत धारा 239 दं0 प्र0 सं0 के अधीन के अभियुक्तगण 1. नन्दकिशोर सहनी 2. बिशुनदेव पटेल 3. बालकिशुन साह उर्फ कटिंग 4. ललन साह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा—33, 41, 42 भारतीय वन अधिनियम एवं 2(15), 35(6), 39(1), 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं 379, 411 भा0 दं0 सं0 के आरोप से उन्मोचित किया जाने के लिए आवेदन दिया गया।

जिसकी प्रति अभियोजन पक्ष को दी गई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिउत्तर दिनांक 23.01.2014 को दाखिल किया गया।

बचाव पक्ष द्वारा अपने आवेदन में कहना है कि प्राथमिकी वाल्मिकी नगर थाना प्रभारी के फर्दबयान के आधार पर दिनांक 10.10.2009 को समय 2:30 सुबह दर्ज किया गया। दो ट्रेक्टर टॉली द्वारा 27 टुकड़ा एवं टहनी आम की लकड़ी के साथ प्रतिबंधित वन क्षेत्र से ले जाते हुए पकड़ा गया। जिसकी जप्ती सूची दिनांक 13.10.2009 को बनाई गई जो दिनांक 10.10.2009 को पुनः दिनांकित की गई, जो कांड दैनिकी के पैरा—40 में अंकित है। दोनों चालकों को दिनांक 13.10.2009 को तीन दिन पश्चात् माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जप्त लकड़ी के संबंध में कोतराहा के वन पदाधिकारी से आख्या की मांग की गई। वन पदाधिकारी कोतराहा द्वारा पत्र संख्या—21, दिनांक 19.11.2009 को अपने आख्या में उल्लिखित किया कि जप्त लकड़ी मुनीलाल दास की रैयती लकड़ी है, जो वन की लकड़ी नहीं है। ट्रेक्टर टॉली की परमिट संख्या—3334 जो स्थानीय मुखिया लक्ष्मीपुर द्वारा जारी की गई है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 20.11.2009 को जप्त लकड़ी को अभियुक्त मुनीलाल के पक्ष में उन्मोचित कर दिया गया। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। अतः उन्हें उन्मोचित किया जाए।

विद्वान अभियोजन अधिकारी का अपने प्रतिउत्तर में कहना है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया है। न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग

करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान ग्रहण किया गया। कांड दैनिकी के पैरा–1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 में साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। उन्मोचन का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचक द्वारा दिनांक 10.10.2009 को प्राथमिकी वाल्मिकी नगर थाना कांड संख्या:–24/2009 दिनांक 10.10.2009 अन्तर्गत धारा–33, 41, 42 भारतीय वन अधिनियम एवं 2(15), 35(6), 39(1), 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं 379, 411 भा0 दं0 सं0 में अभियुक्तगण 1. नन्दकिशोर सहनी 2. बिशुनदेव पटेल 3. बालकिशुन साह उर्फ कटिंग 4. ललन साह के विरूद्ध दर्ज कराया।

अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र संख्या :–11/12, दिनांक 21.02.2012 को अन्तर्गत धारा–33, 41, 42 भारतीय वन अधिनियम एवं 2(15), 35(6), 39(1), 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं 379, 411 भा0 दं0 सं0 में अभियुक्त 1. नन्दकिशोर सहनी 2. बिशुनदेव पटेल 3. बालकिशुन साह उर्फ कटिंग 4. ललन साह के विरूद्ध समर्पित किया। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 16.03.2010 को अन्तर्गत धारा–33, 41, 42 भारतीय वन अधिनियम एवं 2(15), 35(6), 39(1), 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं 379, 411 भा0 दं0 सं0 में अभियुक्तगण 1. नन्दकिशोर सहनी 2. बिशुनदेव पटेल 3. बालकिशुन साह उर्फ कटिंग 4. ललन साह के विरूद्ध संज्ञान ग्रहण किया। अभियुक्तगण के न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित हो जाने के उपरांत पत्रावली आरोप गठन हेतु नियत हुई। कांड दैनिकी के पैरा 1 में प्राथमिकी, पैरा 2 में वादी रौशन कुमार, पैरा 7 में साक्षी गणेश शर्मा, पैरा–8 में साक्षी सिकंदर साह, पैरा–9 में साक्षी हरदेव शर्मा, पैरा –10 में साक्षी श्यामाकांत पाण्डेय, पैरा–11 में साक्षी दिलीप सिंह पैरा–12 साक्षी मुंशीलाल चौहान, पैरा–13 में साक्षी बृजेश सिंह, पैरा–14 में साक्षी नन्दलाल यादव ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। कांड–दैनिकी के पैरा–18 में अभियुक्त बिशुनदेवल पटेल, बालकिशुन साह उर्फ कटिंग अपने सफाई साक्ष्य में बताएं कि लकड़ी नन्दकिशोर सहनी का है और नन्दकिशोर सहनी द्वारा बताया गया कि लकड़ी बगहा लेकर चले आयें, वह बगहा में रहेंगे और किसी लकड़ी वाले को बेचेंगें। लकड़ी से संबंधित कोई कागज है या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। ये दोनों न तो कोई गाड़ी का कागज प्रस्तुत किये और न ही लकड़ी संबंधी कोई कागज दिखाये। ट्रैक्टर पर किस–किस प्रजाति की लकड़ी है के संबंध में टाल–मटोल जवाब दिये। जवाब संतोष जनक नहीं पाया गया। कांड–दैनिकी के पैरा–40 में यह उल्लिखित है कि जप्ती सूची दिनांक 13.10.2009 दर्शाते हुए बनाई गई है परन्तु वास्तव में जप्ती सूची दिनांक 09.10.2009 को रात में बनाई गई थी। इस संबंध में पूर्व अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षण दिनेश सिंह द्वारा माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बगहा को दिनांक 14.10.2009 को शुद्धिपत्र प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। कांड–दैनिकी के पैरा–45 में साक्षी मुनीलाल दास द्वारा कथन किया गया है कि लकड़ी जप्ती की घटना से करीब 1 माह से उपर अपने खेसरा संख्या–156 में लगा हुआ एक आम का पेड़ नन्दकिशोर साह बेचा था, जिसमें मात्र दो गोटा आम का करीब 5–6 फीट गोटा नन्द किशोर को प्राप्त हुआ। जब कांड में जप्त लकड़ी कुल 27 गोटा है। इसके अतिरिक्त लकड़ी को जप्त

वाहन के साथ घटनास्थल से जप्त किया गया है एवं पर्यवेक्षण टिप्पणी द्वारा घ ाटना का समर्थन किया गया है। प्राथमिकी, मूल कांड दैनिकी, आरोप पत्र एवं संज्ञान आदेश से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप गठन किए जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अभियुक्तगण को केवल इस आधार पर उन्मोचित नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्तगण को तीन दिन बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। **एंटी करप्शन ब्यूरो हैदराबाद बनाम् सूर्यप्रकाश 1999 एस0 सी0 सी0 क्रिमिनल 373 में माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा विधि व्यवस्था दी गई है कि आरोप गठन के स्तर पर न्यायालय द्वारा न तो साक्ष्य की पर्याप्तता पर तथा न ही साबित तथ्यों पर विचार करना चाहिए बल्कि कांड दैनिकी में विद्यमान तथ्यों पर विचार करना चाहिए।

इसी तथ्य को **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम् देवेन्द्र नाथ पाड़ी 2005 ए0 सी0 सी0 209** के मामले में अनुमोदित किया। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण 1. नन्दकिशोर सहनी 2. बिशुनदेव पटेल 3. बालकिशुन साह उर्फ कटिंग 4. ललन साह को आरोप अन्तर्गत धारा–33, 41, 42 भारतीय वन अधिनियम एवं 2(15), 35(6), 39(1), 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं 379, 411 भा0 दं0 सं0 से उन्मोचित नहीं किया जा सकता है। अतः बचाव पक्ष द्वारा धारा 239 दं0 प्र0 सं0 के अधीन अभियुक्तगण के उन्मोचन के लिए दिए गए आवेदन को खारिज किया जाता है। आरोप गठन हेतु दिनांक **06.03.2026** नियत।

लेखापित

अलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, प0 चम्पारण।